निःशक्त स्वरोजगार गतिविधियो की शुरूआत हेतु वाणिज्यिक/परिसर के निर्माण की वित्तपोशण योजना प्रयोजन–

निःशक्तजन को स्वरोजगार गतिविधियो की शुरूआत करने के लिए निजी भूमि/लंबे पट्टे पर प्राप्त स्थान पर वाणिज्यिक/परिसर के निर्माण हेतु ऋण के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना।

उद्धेश्य–

इस योजना का मुख्य उद्धेश्य जरूरतमंद निःशक्तजन को वाणिज्यिक / व्यापारिक परिसि के निर्माण हेतु रियायती ऋण प्रदान करना है जिससे वे अपनी स्वरोजगार गतिविधि की शुरूआत कर के इस योजना के तहत निर्माणधीन विणिज्यिक /व्यापारिक परिसर का कार्य सबंधित विभाग यथा : विकास प्राधिकरण अथवा शहरी निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए ।

वित्त पोशण निम्न हेतु प्रदान किया जाएगा –

स्वरोजगार गतिविधि प्रारंभ करने के लिये वाणिज्यिक /व्यापारिक परिसर के निर्माण हेतु।

पात्रता–

1. एनएचएफडीसी स्वरोजगार ऋण नीति के अनुसार।
2. जिस भूमि पर वाणिज्यिक/व्यापारिक परिसर का निर्माण प्रस्तावित है उस पर आवेदक का मालिकाना होना आहिए अथवा वह भूमि सरकार से 20 वर्ष से अधिक अवधि हेतु लीज पर प्राप्त होनी चाहिए ।

ऋण राशि : रूपये 3.00 लाख तक (ऋण राशि चुकौती अवधि में उधारकर्ता की अदायगी क्षमता के आधार पर निर्धारित होगी)

ब्याज की दर :

	ऋण राशि	एस.सी.ए. द्वारा एनएचएफडीसी को दी जाने वाली	लाभार्थियों द्वारा एस.सी.ए. को दी जाने वाली
1)	₹ 50,000/– तक	2%	5%
2)	₹ 50,000/– से अधिक एवं रूपये 5,00,000/– तक	3%	6%

नोट :
1. विकलांग महिलाओं के लिये ब्याज दर पर 1.0 प्रतिशत की छूट।
2. दृष्टि/मानसिक/मुक बधिर श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को ब्याज दर में 0.5% की छूट।

ऋण की चुकौती : ऋण का भुगतान 10 वर्ष के भीतर करना होगा।

ऋण प्राप्त करने की प्रकिया :

आवेदको को अपना आवेदन विहित प्रपत्र में एनएचएफडीसी की राज्य कार्यकारी संस्था में जमा करना होगा तथा एनएचएफडीसी की ऋण नीति में वर्णित प्रकिया के अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाएगा।

इस योजना के तहत ऋण की अन्य निंवधन एवं शर्तें एनएचएफडीसी की स्वरोजगार हेतु बनाई गई ऋण नीति के अनुसार होगी ।

एनएचएफडीसी का अधिकार

किसी भी विवाद की दशा में अप्रनि एनएचएफडीसी का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।